

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-संशोधित/2016/ 1753 दिनांक : 29/12/16

—: संशोधित आदेश :—

निम्नलिखित चिकित्सकों के पूर्व में स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

1. डॉ० दुर्गा शंकर जयपाल, चिकित्सा अधिकारी (पैथोलोजी) मेडिकल कॉलेज, बीकानेर का निदेशालय के आदेश क्रमांक 44 दिनांक 25.01.2014 में अध्ययन अवकाश दिनांक 30.08.2013 से 29.08.2016 तक स्वीकृत किया गया था, के निरन्तरता में दिनांक 31.07.2013 से 29.08.2013 तक 30 दिवस का उपार्जित अवकाश उनके अवकाश शेष 40 दिवस में से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
2. डॉ० विकास मीणा चिकित्सा अधिकारी (ईएनटी) मेडिकल कॉलेज, जयपुर का निदेशालय के आदेश क्रमांक 49 दिनांक 28.01.2014 में अध्ययन अवकाश दिनांक 29.08.2013 से 28.08.2016 तक स्वीकृत किया गया था, के निरन्तरता में दिनांक 25.07.2013 से 28.08.2013 तक 35 दिवस का उपार्जित अवकाश उनके अवकाश शेष 39 दिवस में से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
3. डॉ० लॉग मोहम्मद राजड, चिकित्सा अधिकारी (पीएसएम) मेडिकल कॉलेज, जयपुर का निदेशालय के आदेश क्रमांक 1338 दिनांक 13.10.2016 में अध्ययन अवकाश दिनांक 4.06.2016 से 3.06.2019 तक स्वीकृत किया गया था, के स्थान पर दिनांक 4.06.2016 से 3.06.2018 तक पढ़ा जावे।
4. डॉ० नरेश कुमार गोठवाल, चिकित्सा अधिकारी (ईएनटी) मेडिकल कॉलेज अजमेर का निदेशालय के आदेश क्रमांक 44 दिनांक 25.01.2014 में अध्ययन अवकाश दिनांक 31.08.13 से दिनांक 30.08.16 तक का स्वीकृत किया गया था के निरन्तरता में दिनांक 18.07.13 से दिनांक 30.08.13 तक का 44 दिवस का उपार्जित अवकाश उनके अवकाश शेष 52 दिवस में से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।
5. निदेशालय के आदेश क्रमांक 526 दिनांक 17.8.2016 में डॉ० जगदीश चन्द्र कुकड़ा के स्थान पर डॉ० जगदीश चन्द्र कूकणा पढ़ा जावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-संशोधित/2016/ 1753 दिनांक : 29/12/16
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज अजमेर/जयपुर/बीकानेर को भेज कर लेख है कि चिकित्सक की सेवापुस्तिका में उनके अवकाश स्वीकृति का इन्द्राज लाल स्याही से कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
5. डीलिंग सहायक, सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली हेतु।
6. प्रभारी, सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर डालने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।